संख्या-50/2016/916/सैंतीस-2-2016-1(24)/2015

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-27 अप्रैल, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-440/सा0-2/27/309/2016-17, दिनांक-11.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुये विभिन्न प्रकार के वाहनों के प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेन्ट) स्वरूप डी.जी.एस.एण्डडी. दरों पर नियमानुसार 01 मारूति सियाज वी डी आई प्लस डीजल कार के क्रय हेतु रू0-7,72,888/- एवं 01 बुलैरो एल एक्स 2डब्ल्यूडी बी.एस.-4 एनएसी डीजल जीप के क्रय हेतु रू0-6,04,494/- इस प्रकार कुल रू0-13,77,382/- (रूपये तेरह लाख सतहत्तर हजार तीन सौ बयासी मात्र) का व्यय, जोकि रू0-10 लाख से अधिक है, किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. प्रश्नगत वाहनों का क्रय परिवहन अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक-12 नवम्बर, 1986 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार अद्यतन डी.जी.एस.एण्डडी. दरों पर परिवहन विभाग का यथावश्यकता परामर्श प्राप्त करते हुए तथा दरों की वैधता सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।
3. जो वाहन निष्प्रयोज्य किये गये हैं, वह परिवहन विभाग के शासनादेश दिनांक-04.10.1997 में निहित व्यवस्थानुसार/मापदण्डों के अनुसार ही निष्प्रयोज्य किये गये हों तथा निष्प्रयोज्य वाहनों के सापेक्ष पूर्व में कोई वाहन क्रय नहीं किया गया है, इसे सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
4. उक्त वाहनों का क्रय किसी अन्य योजना से न किया गया हो अर्थात् क्रय की कार्यवाही में द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय।
6. वाहनों के क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय-14-मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-यू.ओ.-437/दस-2016, दिनांक-27.04.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>पृ0सं0-50/2016/916(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in